

(1)

R.M.M Law College Saharasa  
Kareeshji Anand

L.L.B Part - III rd

Paper - VIII th

### Inspectors of Income Tax

अर्थ एवं श्रेयाधिकार :-

शब्द से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिस <sup>आयकर निरीक्षक</sup> द्वारा-117 (1) के अंतर्गत आयकर निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। आयकर निरीक्षक की नियुक्ति आयकर आयुक्त द्वारा की जाती है। आयकर निरीक्षकों के लिए कोई निश्चित श्रेयाधिकार नहीं है।

शक्तियाँ एवं कार्य :-

आयकर निरीक्षकों की उन शक्तियों का प्रयोग तथा उन कार्यों का अंतिम करना पड़ता है कि उन्हें आयकर आयुक्तों के द्वारा दिये गए हैं, अथवा किसी भी अन्य प्रकार के अधिकारी जिनके अधिनस्थ उन्हें नियुक्त किया गया है के द्वारा उन्हें दिये गए हैं। इस प्रकार इनकी शक्तियाँ और कार्य निश्चित नहीं हैं। साधारणतया आयकर निरीक्षक आयकर अधिकारी की ओर से विधायिका के लक्ष्य की पूर्ति करते हैं।

# आयकर अधिकारियों की शक्तियाँ

व्यार-127

आयकर आयुक्त अपने अधिकारण एक या एक से अधिक आयकर अधिकारियों के पदों से किसी मागले की किसी अन्य अधिकारि आयुक्त अधिकारी या अधिकारियों को अंतरित कर सकता है। ऐसे अंतरण से पूर्व निष्पत्ती की सुनवाई का अनुचित अवसर प्रदान किया जाता-चाहिए। और ऐसे अंतरण का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। इसी प्रकार कोई किसी भी आयुक्त अधिकारी अथवा आयकर अधिकारियों के पदों से किसी मागले की किसी अथवा अधिकारी को अंतरित कर सकता है। आयकर आयुक्त को अपने अधिकारि आयुक्त अधिकारियों के पदों से मागलों को अंतरित करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु कोई भी शक्ति पर ऐसा कोई निर्धारण नहीं है और कोई शक्ति किसी भी आयुक्त अधिकारी के पदों से किसी मागले की किसी भी अन्य आयुक्त अधिकारी को अंतरित कर सकता है। ऐसे अंतरण से पूर्व निष्पत्ती की सुनवाई का अनित अवसर प्रदान किया जाना वहीं आवश्यक नहीं है जहाँ जिस आयुक्त अधिकारी के पदों से मागला अंतरित किया जा रहा है और जिस आयुक्त अधिकारी को अंतरित किया जा रहा है। इनका कार्यालय एक ही शहर में या एक ही स्थान पर स्यात है। यदि कोई मागला दो या दो से अधिक आयुक्त अधिकारियों को अंतरित किया जाता है तो उन्हें समवनी होना चाहिए।

प्राप्त होगा और वे बोर्ड, आयोग आथुका  
 अथवा आयोग आथुका द्वारा प्राधिकृत निरीक्षण  
 सहायक आथुका के आदेशों के अनुसार कार्य  
 करेंगे। यदि कोई मांगला किसी आयोग  
 अधिकारी या अधिकारियों के यहाँ से हो  
 या जो है अधिक एस आयोग अधिकारियों  
 को अंतरित किया जाता है जो किसी निरीक्षण  
 सहायक आथुका के साथ समवर्ती होना अधिकृत  
 प्राप्त है जो निरीक्षण सहायक आथुका सहित  
 इन सभी अधिकारियों को इस प्रकार  
 अंतरित मामले के सम्बन्ध में समवर्ती  
 होना अधिकृत प्राप्त होगा और वे बोर्ड अथवा  
 आथुका के आदेशानुसार कार्य करेंगे और  
 इसके साथ ही सभी आयोग अधिकारी  
 निरीक्षण सहायक आथुका द्वारा 194 (ए) या  
 125 (क) (ख) के अंतर्गत दिये गये आदेशों  
 अथवा निर्देशों का भी पालन करते हुए  
 अपना कार्य सन्पन्न करेंगे।

यह भी उल्लेखनीय है कि  
 मामले का अंतरण किसी भी स्थिति में किया  
 जा सकता है और जिसका यह अंतरित किया  
 जाता है वह उस स्थिति से आगे कार्यवाही  
 चालू कर सकता है जिस स्थिति में वह उस  
 मामले को प्राप्त किया है।